कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809013

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -परिपत्र -अवमूल्यन 2008// 157 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(चेक पोस्ट-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 29 अप्रैल, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(SIB/कार्य/ अपील/उच्च न्या0कार्य/सर्वोच्च न्या0कार्य)वाणिज्यकर, उ0प्र0।

समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ SIB/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, उ0प्र0।

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्यकर अधिकारी, उ0प्र0।

Key word EVASION / TAX EVASION

कृपया माल के अवमूल्यांकन के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित परिपत्र संख्या-चे0पो0-फार्म-34-268-नमूना-89-90 दिनांक 13-4-89 एवं परिपत्र संख्या-13/98 पत्र संख्या-25-क-98-99-334 दिनांक 6-6-98 का संदर्भ लें , जिसके द्वारा जॉच चौकियों के लिये माल के अवमूल्यांकन के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित की गयी है । ऐसा ज्ञात हुआ है कि इन निर्देशों का कतिपय व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ लिया जा रहा है तथा प्रचलित बाजार भाव की तुलना में बहुत कम मूल्य दर्शाते हुये प्रान्त बाहर से माल आयात करकें करापवंचन किया जा रहा है । कतिपय वस्तुओं में माल का नमूना लिया जाना भी संभव नही है । व्यापारियों द्वारा इस स्थिति का भी लाभ उठाया जा रहा है । आयरन स्टील के कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक के मूल्यों में काफी तेजी आयी है जिसके कारण एम0एस0 इगट , सरिया आदि लौह उत्पादों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है तथा वर्तमान मे प्रदेश मे एम0एस0 इंगट के भाव 30000/- रु0 से 32000/- रु0 प्रतिटन जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं अन्य कर सम्मिलित नही है , चल रहें है परन्तु अनेक व्यापारियों द्वारा 18 हजार रु0 से 24 हजार रुपया प्रति टन मूल्य दिखाते हुये एम0एस0 इंगट का आयात प्रान्त बाहर से प्रान्त अंदर किया जा रहा है ।

आप अवगत हैं कि एम0एस0 इंगट व अन्य लौह उत्पाद आदि सहित प्रमुख वस्तुओं के बाजार भाव सभी राष्ट्रीय समाचारपत्रों तथा फाइनेन्शियल एक्सप्रेस तथा दि इकोनामिक टाइम्स आदि समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित किये जाते हैं । इन वस्तुओं के प्रतिष्ठित निर्माता व्यापारियों द्वारा भी प्रचलित बाजार भाव के आधार पर बिल जारी करते हुये अपना माल भेजा जाता है । इसप्रकार प्रथम दृष्टया ऐसे मामलों में यह निर्विवाद रुप से प्रमाणित किया जा सकता है कि आयातक व्यापारियों द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से जानबूझकर मिलीभगत से माल का अवमूल्यांकन घोषित किया जा रहा है । ऐसा अन्य वस्तुओं के संबंध में भी उसी प्रकार संभव है । करापवंचन की रोकथाम हेतु यह निर्णय लिया गया है कि संवेदनशील वस्तुओं के सबंध में यदि व्यापारियों द्वारा माल के मूल्य में प्रचलित बाजार भाव की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यांकन घोषित किया जा रहा है तो ऐसे माल को डिटेन करके विधिनुसार कार्यवाही की जाये चूँकि ऐसे मामलो मे करापंचन का उद्देश्य स्वत: स्पष्ट है । प्रान्त के अंदर माल का परिवहन किये जाने की स्थिति में सचलदल / अन्य प्रवर्तन इकाइयों द्वारा जॉच किये जाने पर भी इस दिशा में कार्यवाही तत्परतापूर्वक किया जाना आवश्यक है । प्रतिबन्ध यह रहेगा कि अवमूल्यांकन के मामलों में प्राथमिक जॉच के उपरान्त मामले के तथ्यों को संबंधित डिप्टी कमिश्नर (चेकपोस्ट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर के संज्ञान मे लाते हुये उनकी सहमति के आधार पर ही कारण बताओ नोटिस जारी करतें हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न न होने पाए ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

3- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।

4- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ

5- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।

6- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(जगमोहन लाल शर्मा)

ज्वाइंट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर ,

मुख्यालय , लखनऊ